प्रेमनारायण उर्फ त्रिलोक / लानी 06/2021

23/8/22 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। जवाब न पेश नहीं किया। वकील प्रार्थी के सख्त हिदायत के साथ एक मौका अवश्य दिया जाता है। पत्रावली दि. 2/9/22 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी
हाजिर
में
दिनांक 5/10/22 को पेश हो

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी
हाजिर
में पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 15/11/22 को पेश हो

14/11/22 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष ने मूल वाद के निस्तारण तक प्रकरण के पत्रावलीगत के जब्ती अस्थायी निषेधाज्ञा के पालन किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि मूल वाद बंटवारे के संबंधित है। इसलिए तात्कालिकता नहीं कि जा चुकी है अतः मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षकारान को जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा के पालन किया जाता है कि विवादित आराजी सं. नं. 329, 330, 331, 332, व 333 कुल किता 5 कुल रकबा 2.22 हे. वाके ग्राम लाजसर से जड़ोलियान तहसील चाड़ जिला सीकर में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु व बेचान न करने हेतु पालन किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार रजिस्टर के कर दी। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।